फैक्स / महत्वपूर्ण

संख्या–364/1–10–2015–33(16)/2015टी0सी0–6

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊ : दिनॉक :09जून, 2015

विषयः प्रदेश में राहत वितरण के दौरान संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कठोर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों को राहत वितरण किये जाने के लिये प्रदेश के 73 प्रभावित जनपदों को अब तक शासन द्वारा कुल रू0 2946.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसानों को कृषि निवेश अनुदान उपलब्ध कराया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी के दृष्टिगत विभिन्न शासनादेशों/वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों की फसलों को हुई क्षति का सही सर्वे एवं मूल्यांकन किये जाने, राहत वितरण में पूरी पारदर्शिता बरतने तथा वितरण में अनियमितता पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं।

2– शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का प्रभावित किसानों में कृषि निवेश अनुदान के रूप मे वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न माध्यमों से कृषि फसलों की क्षति का सर्वे न किये जाने, कतिपय मामलों में मनमानी ढंग से सर्वे किये जाने, राजस्व कर्मियों द्वारा प्रभावित किसानों से अनुचित रूप से धनराशि की मांग किये जाने, कृषि निवेश अनुदान वितरण में Pick & Choose की प्रकिया अपनाने, अनियमितताओं/कर्मचारियों के अनियमित व्यवहार की शिकायत उच्चाधिकारियों से किये जाने पर जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही न करने आदि की शिकायतें शासन को प्राप्त हो रही हैं।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार किसानों को राहत प्रदान किये जाने के लिये इतनी बड़ी धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है। प्रत्येक प्रभावित किसान को समुचित एवं तात्कालिक राहत प्रदान किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका लाभ शत–प्रतिशत प्रभावित किसानों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना संबंधित जिलाधिकारी/जिला प्रशासन का दायित्व है।

4– अतः अनुरोध है कि किसानों की फसलों को हुई क्षति का सही सर्वेक्षण/मूल्यांकन न किये जाने, वितरण में अनियमितता पाये जाने तथा राजस्व कर्मियों द्वारा प्रभावित किसानों से अनुचित रूप से धनराशि की मांग की शिकायतों को गम्भीरता लेते हुये जिलाधिकारी द्वारा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के तहत कार्यवाही की जाय।

5– उक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त करने के लिये जनपद स्तर पर एक शिकायत पेटिका स्थापित की जाय। शिकायत पेटिका में प्राप्त शिकायतों को प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव